

जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों से एक अवैध तमंचा तथा 10 लीटर अवैध शराब व शराब बनाने के उपकरण सहित कुल 02 अभिगण को गिरफ्तार किये जाने के सम्बन्ध में ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूं संकल्प शर्मा के निर्देशन अपराध/अपराधियों के विरुद्ध गिरफ्तारी अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 18.07.2021 को थाना बिसौली पुलिस द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफार्म ट्वीटर हेण्डल पर वायरल एक व्यक्ति जागन पुत्र लाखन सिंह निवासी पिन्दारा थाना बिसौली जिला बदायूं की हाथ में तमंचा लिये फोटों की तलाश की गयी । जिसके कब्जे से एक अदद तमंचा देशी 12 वोर बरामद हुआ । अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना बिसौली पर मु0अ0सं0 287/ 21 धारा 3 / 25 ए एक्ट बनाम जागन पुत्र लाखन सिंह निवासी पिन्दारा थाना बिसौली जिला बदायूं पंजीकृत कर अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया । थाना कादरचौक पुलिस द्वारा एक अभियुक्त नेत्रपाल पुत्र लेखराज निवासी ग्राम वहीद नगर थाना कादरचौक बदायूं को मय 10 लीटर अवैध शराब खाम व शराब बनाने के उपकरण के साथ गिरफ्तार किया गया। जिसके संबंध में थाना कादरचौक पर मु0अ0सं0 193/2021 धारा 60(2) EX ACT पंजीकृत कर मा0 न्या0 के समक्ष पेश किया गया ।

सोशल मीडिया सेल

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक

जनपद बदायूं